:: न्यायालय सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.) ::

पीठासीन अधिकारी	:	**श्रीमती दीपा गुर्जर, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
फौजदारी अपील संख्या	:	**18/2023 (CIS N. 18/2023)**
CNR N.	:	**RJDG010002452023**

1. **कमलेश पिता हंसमुख भाई** उम्र 47 वर्ष निवासी मातियावास मैन बाजार पुलिस थाना बावला धोलका जिला अहमदाबाद (गुजरात)।
2. **चेतन कुमार पिता सहदेवलाल** उम्र 42 वर्ष निवासी महेश्वरी सोसायटी धराद रोड़ धानेरा पुलिस थाना धानेरा जिला बनासकांठा (गुजरात)।
3. **प्रकाश पिता मगन भाई** उम्र 59 वर्ष निवासी पाँच बखार सुथारवास के पीछे बावला पुलिस थाना बावला जिला अहमदाबाद (गुजरात)।

--अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण--

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, डूँगरपुर। **--प्रत्यर्थी/अभियोजन--**

पीठासीन अधिकारी मीनाक्षी बिलोची, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट डूँगरपुर द्वारा नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या-42/2015 रे.फो., सरकार बनाम कमलेश व अन्य में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 13.02.2023 के विरूद्ध दांडिक नियमित अपील।

उपस्थित :-

1. अपीलार्थीगण की ओर से :- श्री नगीन पटेल, अधिवक्ता।
2. प्रत्यर्थी की ओर से :- श्री पुष्कर चौबीसा, लोक अभियोजक।

:: निर्णय ::

दिनांक : 02.06.2026

1. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **कमलेश, चेतन कुमार व प्रकाश** की ओर से यह अपील विद्वान अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट डूँगरपुर द्वारा नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या-42/2015 रे.फो. उनवानी सरकार बनाम कमलेश व अन्य में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 13.02.2023 से परिवेदित होकर पेश की गई है जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त **कमलेश व चेतन कुमार** को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध कर अपराध अंतर्गत **धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में तीन वर्ष का कठोर कारावास व बीस हज़ार रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास** से दंडित किया है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त **प्रकाश** को धारा 19/54, 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध कर अपराध अंतर्गत **धारा 19/54 व 54ए राजस्थान आबकारी**

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

अधिनियम में तीन वर्ष का कठोर कारावास व बीस हज़ार रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया है

2. संक्षेप में अपील उदभूत होने के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 11.11.2013 को परिवादी मोहम्मद आरीफ कुरैशी पिता फरीद मोहम्मद करैशी निवासी मोहल्ला घाटी डूँगरपुर हाल प्रभारी S.S.T. विधान सभा क्षैत्र डूँगरपुर 158 ने मय पकड़ी अंग्रेजी शराब के 41 कार्टन विभिन्न किस्म के मय इनोवा वाहन संख्या GJ 23 A 5532 एवं मुल्जिम कमलेश व चेतन कुमार के पुलिस थाना बिछीवाड़ा पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी प्रतिनियुक्ति श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी डूँगरपुर के आदेशानुसार विधानसभ क्षैत्र-158 (डूँगरपुर) में स्थैतिक निगरानी टीम (S.S.T.) में प्रभारी के रूप में लगायी गयी है। आज दिनांक 11.11.2013 को उसके साथ ड्यूटी में आत्माराम पिता तालाराम, हेमसिंह होमगार्ड एवं भायचन्द कानि. एवं उसे एलोट की गयी वाहन संख्या RJ 12 U 0076 (स्पेशियो) का चालक कल्याणसिंह तथा वीड़ियोग्राफर प्रितेश कमार के सभी डूँगरपुर से 10:30 AM पर रवाना होकर अवैध वाहनों में शराब तस्करी संबंधी चैकिंग करते हुए थाना बिछीवाड़ा के पास तीन रास्तों पर करीब 12:00 बजे पहुंचे एवं वाहनों की चैकिंग कर रहे थे। दौराने चैकिंग करीब 4:00 बजे एक इनोवा गाड़ी बिछीवाड़ा हाईवे की तरफ से डूँगरपुर जाने को आयी जिसे रूकवायी एवं चैक की गयी तो अन्दर अंग्रेजी शराब भरा हुआ था। गाड़ी में बैठे व्यक्तियों के नाम पते पूछे तो एक ने अपना नाम कमलेश शाह पिता हंसमुख भाई शाह निवासी मातियावास मैन बाजार थाना बावला तालूका धोलका जिला अहमदाबाद होना बताया तथा दूसरे ने अपना नाम चेतन कुमार पिता सहदेवलाल महेश्वरी निवासी महेश्वरी सोसाईटी थराद रोड़ धानेरा थाना धानेरा जिला बनासकांठा का होना बताया और एक व्यक्ति गाड़ी से उतर कर भाग गया। शराब के बारे में कोई कागजात या परमिट व अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा तो अपने पास कोई कागजात नहीं होना बताया। वाहन के नंबर देखे तो GJ 23 A 5532 लिखे हुये है। वह मय ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों के उक्त वाहन को थाना बिछीवाड़ा के अहाते में मय उक्त दोनों व्यक्तियों के ले गया एवं थाने के परिसर में भरी हुई अंग्रेजी शराब की वीड़ियेग्राफी प्रितेश कुमार से करवाई गयी तथा वाहन में भरे अंग्रेजी शराब के कार्टनों को उतरवा कर भी वीड़ियोग्राफी करवायी गयी तो 13 पेटी पार्टी स्पेशियल के पव्वे, 09 कार्टन रोयल स्टेम एवं 19 कार्टन हेवर्ड़ 5000 बीयर के पाये गये। कुल 41 कार्टन अंग्रेजी शराब के पाये गये। अतः उक्त शराब के कार्टन मय उक्त इनोवा कार मय मुल्जिमान कमलेश व चेतनकुमार के पेश है। कार्यवाही की जावे.........इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर बाद आवश्यक अनुसंधान **अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण कमलेश व चेतन कुमार** तथा **विजय कुमार उर्फ जाड़ा (अभियुक्त विजय की मृत्यु हो जाने से आदेशिका दिनांक 09.12.2021 को कार्यवाही ड्रोप की गयी)** के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 व **अपीलार्थी/अभियुक्त प्रकाश** के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 में आरोप पत्र विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डूँगरपुर में

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

पेश किया गया, जहां से प्रकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश डूँगरपुर के आदेश क्रमांक 17/15 दिनांक 27.01.2015 की पालना में दिनांक 05.02.2015 को न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट डूँगरपुर को अन्तरित होकर प्राप्त हुआ। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण कमलेश, चेतन कुमार को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप व अपीलार्थी/अभियुक्त प्रकाश को धारा 19/54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो उन्होंने आरोप को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–1 कल्याण, पी.डब्ल्यू–2 मोहम्मद आरीफ कुरैशी, पी.डब्ल्यू–3 भायचन्द, पी.डब्ल्यू–4 प्रितेश, पी.डब्ल्यू–5 हेमसिंह, पी.डब्ल्यू–6 आत्माराम, पी.डब्ल्यू–7 प्रभुलाल, पी.डब्ल्यू–8 सुखलाल व पी.डब्ल्यू–9 मांगीलाल को परीक्षित करवाया गया और प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–28 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की परीक्षा धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत की गई और उभय पक्ष को सुनकर विद्वान विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय व दण्डादेश पारित करते हुए अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण कमलेश व चेतन कुमार को अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम व अपीलार्थी/अभियुक्त प्रकाश को अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 व 54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

3. अपील के संबंध में बहस उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का दौराने बहस मुख्य रूप से यह तर्क रहा कि गवाह पी.डब्ल्यू–1 कल्याणसिंह जो जब्तीदल के साथ मौजूद था पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने जब्त की गयी शराब के बारे में कोई जानकारी नहीं होना बताया है और शराब कहां से पकड़ी, किससे पकड़ी व पुलिस ने हस्ताक्षर किस बात के करवाये, गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को मौके पर नहीं देखना बताया है। जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू–2 मोहम्मद आरिफ कुरैशी ने जिरह में कहा है कि मौके पर वीड़ियोग्राफी की थी, लेकिन पत्रावली पर नहीं है। वीड़ियोग्राफी करने वाला गवाह पी.डब्ल्यू–4 प्रितेश कुमार पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने जिरह में स्वीकार किया है कि इसके द्वारा वीड़ियोग्राफी बनायी गयी उसकी सीडी इस पत्रावली में संलग्न नहीं है। शराब की गिनती उसके सामने नहीं की थी। शराब जब्त करने वाली टीम में शामील हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। गवाह पी.डब्ल्यू–3 भायचन्द पुलिसकर्मी है जिसने जिरह में स्वीकार किया है कि कमलेश व चेतन को वह नहीं जानता था। उन्होंने मौके पर कोई कार्यवाही नहीं की थी। गवाह पी.डब्ल्यू–5 हेमसिंह व पी.डब्ल्यू–6 आत्माराम एस.एस.टी. टीम के सदस्य हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। गवाह पी.डब्ल्यू–9 मांगीलाल अनुसंधान अधिकारी है जिसने भी जिरह में स्वीकार किया है कि वीड़ियोग्राफी जो की गयी थी वह पत्रावली में नहीं है और शराब कहां से भरी थी उसक भी रिकॉर्ड पत्रावली पर नहीं है। उनका तर्क है कि अपीलार्थीगण से कोई शराब बरामद नहीं हुई है। प्रकरण में जब्ती एवं शराब बरामदगी की वीड़ियोग्राफी बनायी ग्यी थी जो पत्रावली पर नहीं है। प्रकरण में

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

गवाहान पक्षद्रोही भी हुये हैं। सरकारी गवाहों द्वारा ही अपीलार्थीगण से शराब जब्त होना बताया है। स्वतंत्र गवाह कोई नहीं है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी प्रकाश के विरूद्ध 19/54 ए का आरोप पत्र पेश किया गया है जबकि अपीलांट प्रकाश के द्वारा उक्त वाहन को वक्रय विजय को कर दिया था जिसकी विक्रय विलेख की प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने में विधिक त्रुटी कारित की गयी है। अतः अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक की ओर से दौराने बहस तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सन्देह से परे साबित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज की जावे।

5. उभय पक्षों के तर्क–वितर्कों पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह पी.डब्ल्यू–2 मोहम्मद आरिफ कुरैशी (प्रधानाध्यापक आदर्श रा.उ.मा.वि. माण्डवा खापरड़ा डूँगरपुर) तत्कालीन प्रभारी एस.एस.टी. विधानसभा क्षेत्र डूँगरपुर–158 प्रकरण का जब्ती अधिकारी है जिसकी साक्ष्य प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इसका मुख्य परीक्षा में यह कथन रहा कि दिनांक 11.11.2013 को एस.एस.टी प्रभारी विधान सभा क्षेत्र 158 डूँगरपुर में जिला कलक्टर द्वारा उसकी ड्यूटी लगायी गयी थी। उक्त दिनांक को वह, आत्माराम, हेमसिंह, भायचंद, ड्राईवर कल्याणसिंह व वीड़ियोग्राफर प्रितेश कुमार सभी डूँगरपुर से 10:30 ए.एम. पर रवाना होकर अवैध वाहनों में शराब तस्करी संबंधी चेकिंग करते हुए बिछीवाड़ा के पास तिराहे पर करीब 12:00 बजे पहुंचे एवं वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। दौराने चैकिंग करीब 4:00 बजे एक काले रंग की इनोवा गाड़ी बिछीवाड़ा से डूँगरपुर की ओर जाते हुये देखी जिसको उन्होंने हाथ का इशारा करते हुये रूकवायी एवं गाड़ी को चेक किया तो उसमें विभिन्न ब्राण्ड की अंग्रेजी शराब भरी हुई थी जिसकी उन्होंने वीड़ियोग्राफी करवाई। वाहन में बैठे लोगों से नाम पते पूछे तो उनमें से एक ने अपना नाम कमलेश पिता हंसमुख निवासी अहमदाबाद एवं दूसरे ने अपना नाम चेतन पिता सहदेवलाल बताया तथा एक व्यक्ति गाड़ी रूकते ही भाग गया। शराब के बारे में पूछा की कोई कागजात अनुज्ञा पत्र या चालान शराब परिवहन के संबंध में है तो उन्होंने अपने पास कोई काजात नहीं होना बताया। वाहन का नंबर देखा तो जीजे 23 ए 5532 लिखा हुआ था जिसे वह व ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारी उक्त वाहन मय दोनों व्यक्तियों के बिछीवाड़ा थाना ले जाकर थाने आते ही वीड़ियोग्राफी करवायी व शराब उतारते वक्त

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

भी वीड़ियोग्राफी करवायी जिसमें शराब के विभिन्न ब्राण्डों के 41 कार्टन अंग्रेजी शराब के पाये गये, जिन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत करते वक्त शराब के 41 कार्टन मय वाहन संख्या जीजे 23 ए 5532 एवं मय दोनों व्यक्तियों के थाना बिछीवाड़ा प्रभारी को कार्यवाही हेतु सौंप दिया। कार्यवाही रिपोर्ट प्रदर्श पी–7, नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके अलावा वक्त कार्यवाही दिनांक 12.11.2013 को नक्शा मौका बनाया, तब वह, ड्राईवर कल्याणसिंह, वीड़ियोग्राफर प्रितेश कुमार व पुलिस वाले ही थे। चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–8 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

7. बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि मौका स्थल बिछीवाड़ा थाने से लगभग आधे किलोमीटर दूर है। गवाह ने यह बात सही होना बताा है कि बरामदशुदा शराब की पेटियां उसने नहीं गिनी थी स्वयं कहा कि उसके समक्ष दूसरे कर्मचारी से गिनवायी गयी थी। गवाह का कथन है कि शराब की पेटियों को उन्होंने मौके पर नहीं बल्कि थाने में जाकर गिना था। शराब की लगभग तीन ब्राण्ड की पेटियां 9–13–19 मात्रा गाड़ी में थी। बरामदशुदा शराब की पेटियों को उतारा व मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द कर दिया फिर उन्होंने क्या किया उसे नहीं पता। गवाह की यह स्वीकारोक्ति रही है कि वह मुल्जिम कमलेश व चेतन को पहले से नहीं जानता था आज हाजिर अदालत वह उनको पहचानता है।

8. जब्ती दल के सदस्य साक्षीगण की साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रकरण में जब्ती दल में शामिल रहे एस.एस.टी. टीम में से भायचन्द को पी.डब्ल्यू–3, हेमसिंह को पी.डब्ल्यू–5 व आत्माराम को पी.डब्ल्यू–6 तथा चालक कल्याणसिंह को पी.डब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है। पी.डब्ल्यू–3 भायचन्द तत्कालीन कानि. पुलिस थाना कोतवाली डूँगरपुर ने अपनी मुख्य परीक्षा में जब्ती अधिकारी के कथनों को समर्थित करते हुये दिनांक 11.11.2013 को उसका विधान सभा क्षैत्र 158 डूँगरपुर में एस.एस.टी. टीम प्रभारी मोहम्मद आरीफ कुरैशी के साथ तैनात होना, उसके साथ बोर्ड़र होम गार्ड़ हेमसिंह, आत्माराम व एक वीड़ियोग्राफर प्रितेश कुमार को लेकर बिछीवाड़ा वाहनों की चैकिंग करते हुये पहुंचना, शाम करीब 4:00 बजे एक इनोवा गाड़ी जीजे 23 ए 5532 को हाथ का इशारा देकर रूकवाना, उसमें 13 कार्टन पार्टी स्पेशल पव्वे, 9 कार्टन रॉयल स्टेग बोतल व 19 कार्टन हेवड़ बीयर कुल 41 कार्टन अंग्रेजी शराब पायी जाना, गाड़ी में बैठे हुये व्यक्तियों का नाम पता पूछने पर अपना नाम कमलेश व चेतन बताया जाना, साथ बैठा तीसरा व्यक्ति का गाड़ी रूकते ही भाग जाना, शराब के वैध कागजात के बारे में पूछने पर नहीं होना बताया जाना, उनका उक्त वाहन और व्यक्तियों को मय शराब बिछीवाड़ा थाने में लेकर आना, प्रितेश द्वारा वीड़ियोग्राफी की जाना और शराब की गिनती करवायी जाना कथन किया है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह का कथन है कि बिछीवाड़ा से डूँगरपुर आने वाले बायपास पर गाड़ीया रोकी थी।

9. जब्तीदल के अन्य सदस्य साक्षी पी.डब्ल्यू–5 हेमसिंह तत्कालीन सीमा गृह रक्षा दल ई–कंपनी प्रथम बटालियन बाड़मेर ने भी जब्ती अधिकारी के कथनों की ताईद करते हुये मुख्य परीक्षा

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

में दिनांक 11.11.2013 को उसका विधान सभा क्षैत्र 158 डूँगरपुर में एस.एस.टी. टीम प्रभारी मोहम्मद आरिफ कुरैशी के साथ तैनात होना, उसके साथ भायचन्द, आत्माराम, वीड़ियोग्राफर प्रितेश कुमार सभी का डूँगरपुर से 6:30 ए.एम. पर अवैध वाहनों में शराब तस्करी चैकिंग करते हुये बिछीवाड़ा के पास तिराहे पर 12:00 बजे पहुंचना, जहां पर वाहनों की चैकिंग करना, दौराने चैकिंग एक काले रंग की इनोवा गाड़ी का डूँगरपुर की तरफ से आती नजर आना, जिसको रूकवाना और गाड़ी को चैक किया जाना उसमें विभिन्न ब्राण्डों की इंग्लिश शराब पायी जाना, उक्त सारी घटना की वीड़ियोग्राफी भी करवायी जाना, वाहन में बैठे लोगों का नाम पता पूछने पर एक द्वारा अपना नाम कमलेश पिता हंसमुख शाह निवासी अहमदाबाद, दूसरे ने चेतन पिता सहदेव बताया जाना, उसमें से एक व्यक्ति का गाड़ी के रूकते ही भाग जाना, अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछने पर नहीं होना बताया जाना, जीजे 23 ए 5532 लिखा हुआ होना जिस पर एस.एस.टी. प्रभारी मोहम्मद आरिफ कुरैशी द्वारा वाहन व शराब को जब्त किया जाना व वीड़ियोग्राफी करवायी जाना, शराब की विभिन्न ब्राण्डों में 41 कार्टन अंग्रेजी शराब के पाये जाना व उक्त शराब व गाड़ी को जब्त कर बिछीवाड़ा थाना प्रभारी को मोहम्मद आरिफ कुरैशी द्वारा संभलवायी जाना कथन किये है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वह थाने में गया था और गाड़ी व शराब एस.एच.ओ. बिछीवाड़ा को सुपुर्द की थी। गवाह का कथन है कि गाड़ी में तीन जने बैठे थे, उसमें से एक भाग गया था। गवाह को आपके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुयी थी, का प्रश्न पूछने पर उत्तर दिया कि उसके सामने गाड़ी को रोका था व उसमें से शराब गिनती कर उतारकर बिछीवाड़ा थाने पर ले गये थे।

10. जब्तीदल के अन्य सदस्य साक्षी पी.डब्ल्यू–6 आत्माराम तत्कालीन सीमा गृह रक्षा दल ई–कंपनी प्रथम बटालियन बाड़मेर ने भी जब्ती अधिकारी के कथनों की ताईद करते हुये मुख्य परीक्षा में वर्ष 2013 में उसका इलेक्शन ड्यूटी पर एस.एए.टी. टीम के साथ में होना, उसके प्रभारी मोहम्मद आरीफ कुरैशी का होना, उनकी टीम में कानि. भायंचद, हेमसिंह और वीड़ियोग्राफर प्रितेश कुमार की ड्यूटी होना, वाहन स. आरजे 12 यू 0076 स्पेशीयो के ड्राईवर के साथ ड्यूटी कर रहे होना, घटना के दिन उसका एस.एस.टी. टीम प्रभारी व टीम के साथ में अवैध शराब की चैकिंग हेतु डूँगरपुर से रवाना होकर 12:00 बजे दिन में बिछीवाड़ा तीन रास्ते पर पहुंचना, जहां पर वाहनों की चेकिंग कर रहे होना, दौराने चेकिंग समय 4:00 बजे एक इनोवा गाड़ी का डूँगरपुर की तरफ आते हुये नजर आना, जिसको इशारा कर रोकना, प्रभारी द्वारा गाड़ी को चेक किया जाना, गाड़ी के अंदर अंग्रेजी शराब पायी जाना, गाड़ी में बैठे व्यक्तियों का नाम पता पूछने पर अपना नाम कमलेश पिता हंसमुख भाई निवासी मातियावास अहमदाबाद का होना बताया जाना, दूसरे व्यक्ति द्वारा अपना नाम चेतन पिता सहदेव महेश्वरी निवासी बनासकांठा गुजरात का होना बताया जाना, इसी दौरान एक व्यक्ति का गाड़ी से उतरकर भाग जाना, अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछने पर नहीं होना बताया जाना, इनोवा गाड़ी के नं. जीजे 23 ए 5332 होना, प्रभारी व मय जाब्ता द्वारा दोनों व्यक्तियों व शराब से भरी गाड़ी थाने पर लेकर आना, प्रितेश द्वारा वीड़ियोग्राफी की जाना, गिनती

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

करने पर विभिन्न ब्राण्ड के कुल 41 कार्टन शराब पायी जाना कथन किया है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि वह उस समय सुरक्षा में गार्ड था। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि शराब के कार्टनों की गिनती अधिकारियों द्वारा की गयी थी वह साथ में था। गवाह का कथन है कि कार्टन सीलचिट थे। वहां से कार्टन बिछीवाड़ा थाने में ले गये थे। मौके से बिछीवाड़ा थाना करीब आधा कि.मी. दूर है। थाने में उनके साथ जो कुरैशी थे उन्होंने बिछीवाड़ा थाने वालों को शराब सुपुर्द कर दी थी। गवाह ने इस तथ्य को गलत होना बताया है कि शराब की गिनती गाड़ी में ही की हो बल्कि नीचे उतारकर की थी।

11. उक्त सभी गवाहों की साक्ष्य व फर्द जब्ती प्रदर्श पी–1 तथा रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 से अभियुक्तगण कमलेश व चेतन कुमार के चेतन्य आधिपत्य से वाहन इनोवा कार नंबर जीजे 23 ए 5532 में से अवैध अंग्रेजी शराब व बीयर परिवहन करते हुये बरामद होना प्रमाणित है।

12. जब्तीदल के अन्य सदस्य साक्षी पी.डब्ल्यू–1 कल्याण तत्कालीन चालक पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वर्ष 2013 में वह विधानसभा चुनाव में मोहम्मद आरिफ कुरैशी के नेतृत्व में एक टीम जिसका वाहन टाटा स्पेशियो आरजे 12 यू 0076 का वह चालक था। उसके द्वारा उक्त टीम को लेकर बिछीवाड़ा पुलिस थाने से पहले गाड़ी रोकी थी व मोहम्मद कुरेशी व पुलिस वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। उस समय उनके द्वारा कोई वाहन रोका गया था व उन्हीं के द्वारा कार्यवाही की गयी थी। वह तो वाहन लेकर आगे खड़ा था इसलिये क्या कार्यवाही की यह उसे नहीं पता। पुलिस ने सके कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे किस बात के कराये यह उसे नहीं पता। फर्द 1 से 5 तक ए से बी उसके हस्ताक्षर है। किस संबंध में किये यह उसे नहीं पता। गवाह ने सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी जिरह में पुलिस बयान प्रदर्श पी–6 का ए से बी भाग सही होना बताया। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वक्त चेकिंग शाम 4 बजे इनोवा गाड़ी रूकवायी गयी थी जिसके नंबर जीजे 23 ए 5532 थे जिसमें से अंग्रेजी शराब बरामद की थी। गाड़ी में बैठे व्यक्तियों ने अपना नाम कमलेश पिता हंसमुख और दूसरे ने चेतन पिता सहदेव होना बताया था। एक व्यक्ति गाड़ी से भाग गया था। मौके पर अंग्रेजी शराब की गिनती की गयी थी जिसके कागज बनाये गये थे। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–1, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–2 व 3, नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 व तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी–5 पर स्वयं के हस्ताक्षर अपनी स्वेच्छा से किये थे। उसे मारापीटा नहीं था, न ही उस पर जोर दबाव डाला था। मोहम्मद आरिफ ने थाने में रिपोर्ट पेश की थी।

13. जब्तीदल के अन्य सदस्य साक्षी पी.डब्ल्यू–4 प्रितेश तत्कालीन फोटोग्राफर पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह फोटोग्राफर है। वर्ष 2014 में इलेक्शन की बात है कि वह एस.एस.टी. टीम जो बनी थी, जिसमें मोहम्मद आरीफ जो कि टीचर है, इस टीम के हेड़ है, उनके साथ वह वीड़ियोग्राफी का काम कर रहा था। उनकी टीम में उस वक्त आरीफ और उसके अलावा दो बोर्ड़र हॉम गार्ड़ थे, जिनके नाम उसे आज याद नहीं है,

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

इनके अलावा डूँगरपुर से एक सिपाही भी जिसका नाम वह भूल गया। उस समय उन्होंने बिछीवाड़ा बस स्टेण्ड से बिछीवाड़ा थाने के बीच में एक चेक पोस्ट बना रखी थी, उस समय एक इनोवा कार हाईवे से अन्दर आयी तो उनकी टीम ने उसको हाथ का ईशारा कर रोका। यह कार नेवी ब्लू कलर की थी। लगभग सुबह 10:30–11:00 बजे का समय था। उनके टीम जाब्ते में से एक बोर्ड़र गार्ड़ ने हाथ देकर गाड़ी रूकवायी तो वह गाड़ी नहीं रूकी, लेकिन कुछ 100 मीटर की दूरी पर दूसरा बोर्ड़र गार्ड़ था, उसके गाड़ी रूकवाने पर वह गाड़ी वाला उन दोनों गार्ड़ के बीच में गाड़ी खड़ी कर खेतों में भाग गया। वे पुरे टीम वाले उस गाड़ी के पास गये तो उस गाड़ी में दो व्यक्ति शराब पिये हुये सोये हुये थे, तब उनके टीम के प्रभारी आरीफ ने फोन करके बिछीवाड़ा थाने वालों को बुला लिया जिस पर थाने वाले आये व गाड़ी को थाने पर ले गये, थाने पर वे भी साथ में गये थे, फिर थाने वालों ने गाड़ी खोली व उसे कहा कि इस गाड़ी की वीड़ियोग्राफी कर लो, तब उस गाड़ी के अन्दर भारी मात्रा में बियर व वाईन के कार्टन थे इससे पूर्व में उसके सामने ही पुलिस वालों ने उस गाड़ी में मौजूद दोनों व्यक्तियों को पुलिस वालों ने पकड़ कर थाने में ले गये। गवाह ने अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी–7 का ए से बी भाग खूद के जानकारी में नहीं होना व सी से डी भाग पढ़कर सुनाया तो गवाह ने कहा कि उक्त गाड़ी में शराब के विभिन्न प्रकार के कार्टन थे, लेकिन कितने थे यह उसने नहीं कहा। गवाह ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी–1, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त कमलेश प्रदर्श पी–3, पुलिस द्वारा सके सामने बनाया गया घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 व फर्द तस्दीक घटनास्थल द्वारा अभियुक्त कमलेश व चेतन प्रदर्श पी–5 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसने केवल वीड़ियोग्राफी की थी।

14. उक्त दोनों ही साक्षीगण पी.डब्ल्यू–1 कल्याण व पी.डब्ल्यू–4 प्रितेश के पक्षद्रोही हो जाने मात्र के आधार पर जब्ती अधिकारी व अन्य जब्ती दल के सदस्य साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास कर उसे नकारा नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षीगण के पक्षद्रोही घोषित हो जाने के आधार मात्र पर प्रकरण की बरामदगी की कार्यवाही पर किसी प्रकार का संदेह किया जाना कतई न्यायानुकुल नहीं होगा। इस न्यायालय के विनम्र मत में यदि जब्ती कार्यवाही के अन्य साक्षीगण के पक्षद्रोही घोषित हो जाने के आधार मात्र पर जब्ती अधिकारी व अन्य जब्ती दल के साक्षीगण की ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य को नकारते हुए अभियुक्तगण को लाभ प्रदान किया जाने लगा, तो ऐसी स्थिति अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले अपराधियों के लिये एक सौगात के समान होगी। इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार उक्त साक्षीगण के पक्षद्रोही घोषित हो जाने मात्र से अभियोजन की बरामदगी की कार्यवाही को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है।

15. जब्ती अधिकारी व जब्ती दल के सभी साक्षीगण ने अभियुक्तगण कमलेश व चेतन कुमार द्वारा उनके कब्जेशुदा वाहन इनोवा कार नंबर GJ 23 ए 5532 से परिवहन की जा रही जब्तशुदा अवैध अंग्रेजी शराब 09 कार्टन में 108 बोतले रॉयल स्टेग व्हिस्की, 13 कार्टन में 624 पव्वे पार्टी स्पेशियल व्हिस्की के व 19 कार्टन में 456 टीन हेवडर्स 5000 बीयर की कुल 41 कार्टन अंग्रेजी

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

शराब व बीयर होना बताया है। बरामद अंग्रेजी शराब में से लिये गये नमूना सैम्पल मार्क–A, B व C की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर द्वारा की गयी जाँच रिपोर्ट अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी–13 के रूप में प्रदर्शित करवायी गयी है, जिसके अनुसार उक्त नमूना सैम्पल मार्क –A, B व C में एथिल एल्कोहॉल होना पाया गया है। अतः प्रकरण में अभियुक्तगण से अवैध अंग्रेजी शराब बरामद होने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है।

16. मालखाना प्रभारी साक्षी पी.डब्ल्यू–7 प्रभुलाल तत्कालीन हेड़ कानि. पुलिस थाना बिछीवाड़ा द्वारा प्रकरण में दिनांक 11.11.2013 को मांगीलाल एस.आई. द्वारा जब्तशुदा अंग्रेजी शराब रॉयल स्टेज व्हिस्की बोतलों के 9 कार्टन, पार्टी स्पेशल पव्वों के 13 कार्टन, हेवर्ड्स टिन बीयर 5000 के कुल 19 कार्टन प्रत्येक पेटी में 24 टीन एवं सेम्पल व सीलचिटशुदा प्रत्येक वैरायटी में से क्रमशः मार्क ए, बी, सी व डी अंकितशुदा उसे सम्भलवाये जाना, जिन्हें मालखाना रजिस्टर में इंद्राज कर सुरक्षित मालखाना में रखे जाना, जब्तशुदा इनोवा कार जीजे 2 डीए 5532 को थाना परिसर में रखी जाना, जब्तशुदा सेम्पल दिनांक 18.12.13 को कानि. सुखलाल 682 को एफ.एस.एल. जांच हेतु जमा कराने मय अग्रेषण पत्र के रवाना हो एस.पी. कार्यालय डूँगरपुर हो दयपुर किया जाना, कानि. द्वारा सेम्पल जमा कराकर प्राप्ति रसीद संख्या 3643 दिनांक 19.12.13 के लाकर पेश की जाना, जो आईओ को संभलवायी जाना बताते हुये मालखाना रजिस्टर की मूल प्रति प्रदर्श पी–9 होना, मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–9 ए होना, एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 होना, थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–11 होना एवं एस.पी. का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–12 व प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–13 होना कथन किया है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने कथन किया है कि मालखाने में सेम्पल तीन जमा लिये थे, जिस दिन शराब पकड़ी थी उसी दिन जमा लिये थे। गवाह ने इस तथ्य को गलत होना बताया है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जिसको सेम्पल लेकर भेजा उसके हस्ताक्षर नहीं हो।

17. प्रकरण का एफ.एस.एल. वाहक साक्षी पी.डब्ल्यू–8 सुखलाल तत्कालीन कानि. पुलिस थाना बिछीवाड़ा द्वारा दिनांक 18.12.2013 को मालखाना इंचार्ज प्रभुलाल द्वारा प्रकरण में तीन सीलचिट सेम्पल दिये जाना जिस पर मार्क–ए से सी अंकित मय दस्तावेज के एस.पी. कार्यालय डूँगरपुर में कागजत तैयार करवाने के लिये रवाना किया जाना, कागजात तैयार करवाकर पुनः थाने पर आकर सेम्पल मय दस्तावेज एचएम मालखाना को संभलवाये जाना, दिनांक 19.12.2013 को एच.एम. मालखाना द्वारा पुनः सेम्पल मय दस्तावेज एफ.एस.एल. प्रयोगशाला उदयपुर में जमा करवाने के लिये रवाना किया जाना, उदयपुर पहुंच सेम्पल जमा करवा प्राप्ति रसीद संख्या–3643/2013 थाने पर आकर एच.एम. मालखाना को संभलवायी जाना, थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–11 होना, एस.पी. का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–12 होना व प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–13 होना बताया है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि सेम्पल उसके सामने सीलचिट किये हुये नहीं थे।

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

18. एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 के अवलोकन से प्रकरण में जब्तशुदा शराब व बीयर से निकाले गये सेम्पल मार्क A & B व C एफ.एस.एल. में सीलबंद अवस्था में प्राप्त होना तथा सेम्पल्स पर लगी सील का मिलान भेजी गयी नमूना सील की फर्द से होना तथा उक्त सभी नमूना सेम्पल्स में एथिल अल्कोहल होना पाया गया। अतः अभियुक्तगण के कब्जाधीन वाहन इनोवा कार में रखे कार्टनों में अवैध शराब की बरामदगी होना प्रमाणित होता है।

19. इनके अलावा प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–9 मांगीलाल तत्कालीन एस.आई. पुलिस थाना बिछीवाड़ा ने प्रकरण के संपूर्ण अनुसंधान में अपनायी गयी प्रक्रिया के संबंध में साक्ष्य दी है कि दिनांक 11.11.2013 को प्रार्थी मोहम्मद आरिफ द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 के साथ इनोवा वाहन जीजे 23 ए 5532 में मुल्जिमान कमलेश शाह व चेतन कुमार के कब्जे से पकड़े गये अंग्रेजी शराब के 41 कार्टन मय माल मुल्जिम के पेश किये थे। उसने धारा 19/54 रा.आ.अ. में मुकदमा 304/2013 दर्ज किया। प्रदर्श पी–7 व चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–8 पर उसके हस्ताक्षर है। चेतन, कमलेश के कब्जे में 9 पेटिया रोयल स्टेज फोर सेल इन हरियाणा की थी, जिनमें हर पेटी में 12 बोतल अंग्रेजी शराब से भरी, पार्टी स्पेशल पव्वे की 13 पेटिया प्रत्येक में 48 पव्वे अंग्रेजी शराब से भरे व 19 पेटी हेवर्डस टिन बीयर के प्रत्येक में 24 टिन बीयर से भरे हुये पाये गये। उसने मौतबिरान व उसके सामने उक्त शराब व बीयर जब्त करके सेम्पल निकाले। रॉयल स्टेज में से एक बोतल निकालकर सीलचिट कर मार्क–ए दिया गया। पार्टी स्पेशल में से एक पव्वा नमूना सेम्पल निकालकर सीलचिट कर मार्क–बी दिया। पार्टी स्पेशल की पेटियों को मार्क बी1 से बी13 मार्क दिया और हैवर्डस बीयर के टिन में से एक टिन नमूना सेम्पल लेकर सिलचिट कर मार्क–सी दिया और उनकी पेटियों को मार्क सी1 से सी19 दिया। रोयल स्टेज की पेटियों पर मार्क ए 1 से ए 9 दिया। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–1 से उक्त शराब जब्त की। शराब व सेम्पल मालखाना इंचार्ज को दिये। प्रदर्श पी–1 पर एक्स, वाय व जेड़ स्थान पर उसकी मोहर अंकित है, ई से एफ मुल्जिम चेतन के, जी से एच मुल्जिम कमलेश के व आई से जे उसके हस्ताक्षर है। उक्त कार इनोवा वाहन जीजे 23 ए 5532 को भी प्रदर्श पी–1 से जब्त किया जिस पर के से एल कार का हुलिया दर्ज है।

20. गवाह ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया व चेतन की गिरफ्तारी प्रदर्श पी–2 व कमलेश की गिरफ्तारी प्रदर्श पी–3 है जिन पर अभियुक्तगण के व उसके हस्ताक्षर है। जैर हिरासत मुल्जिम कमलेश ने उसे स्वेच्छा से उसे सूचना दी कि उक्त वाहन पर वक्त अपराध चालक विजय कुमार ठाकुर था जिसको बताने की सूचना तथा जहां से शराब भरी वह स्थान बताने की सूचना प्रदर्श पी–14 है जिस पर कमलेश व उसके हस्ताक्षर है। इसी आशय की सूचना चेतन ने भी दी जिसकी फर्द प्रदर्श पी–15 है। प्रार्थी ने उसे घटनास्थल दिखाया। नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 है। उसने विजय कुमार को फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–16 से गिरफ्तार किया। उसने प्रार्थी की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 बनाया। कमलेश व चेतन ने घटनास्थल तस्दीक की जो प्रदर्श पी–5 है। उसने सभी गवाहों

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूंगरपुर (राज.)

के बयान उनके कथनानुसार लिये। जब्तशुदा सेम्पल को एफ.एस.एल. में भेजकर रिपोर्ट ली गयी। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–11 पर उसके हस्ताक्षर है। एफ.एस.एल. रसीद प्रदर्श पी–13 है। उसकी जाब्ते व मुल्जिमान चेतन व विजय के साथ रवानगी रपट रोजनामचा की सत्य प्रति प्रदर्श पी–17 है। आमद रपट प्रदर्श पी–18 है। मालखाना रजिस्टर की नकल प्रदर्श पी–9 ए है।

21. गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उसने आर.टी.ओ. को तहरीर प्रदर्श पी–18 लिखी, जिस पर ए से बी हस्ताक्षर है जिसकी पुश्त पर आर.टी.ओ. अहमदाबाद ने जवाब सी से डी उसके सामने लिखा जिस पर ई से एफ उसके सामने हस्ताक्षर किये। जवाब में उन्होंने वाहन जीजे 23 ए 5532 का रजिस्टर्ड ऑनर प्रकाश ठाकुर को बताया। उसने पी.एस. बावला अहमदाबाद को तहरीर प्रदर्श पी–20 दी जिस पर उसके हस्ताक्षर है जिसकी पुश्त पर प्रकाश ठाकुर के दर्ज प्रकरण का विवरण ई से एफ रिकॉर्ड देखकर उसके सामने दर्ज किया व जी से एच उसके सामने हस्ताक्षर किये। उसने एस.एच.ओ. बावला को मुल्जिम कमलेश का आपराधिक रिकॉर्ड लेने हेतु तहरीर प्रदर्श पी–21 दी जिसकी पुश्त पर उन्होंने सी से डी अपना जवाब दिया व उनके हस्ताक्षर है।

22. गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसने एस.एच.ओ. धानेरा जिला बनासकांठा को तहरीर प्रदर्श पी–22 दी जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा विजय, चेतन का रिकॉर्ड चाहा था और विजय को डिटेन करने के लिये कहा था। उसने मुल्जिम प्रकाश को फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–23 से गिरफ्तार किया। उसने प्रकाश को 133 एम.वी. एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–24 दिया, जिस पर उसके हस्ताक्षर व सी से डी प्रकाश भाई का जवाब होकर हस्ताक्षर है। उसने अपनी गाड़ी पर चालक कमलेश का होना बताया। उक्त वाहन जीजे 23 ए 5532 के संबंध में मुल्जिम प्रकाश व विजय के बीच बेचान करार प्रदर्श पी–25 विजय कुमार ने सत्यप्रति पेश की जिस पर विजय के हस्ताक्षर है। प्रकाश का वोटर आई.ड़ी. प्रदर्श पी–26 है। विजय का वोटर आई.ड़ी. प्रदर्श पी–27 है। उक्त वाहन की आरसी सत्यप्रति प्रदर्श पी–28 है जिसके 16 वे पृष्ठ पर उक्त वाहन प्रकाश भाई ठाकुर के नाम ट्रांसफर होने की प्रविष्टि है जो प्रविष्ठि ए से बी दर्ज है। उसके द्वारा जब्त नमूना सेम्पलों की रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 है। अदालत के आदेश से मालखाना का निस्तारण हो चुका है। उसने अपनी तफ्तीश से मुल्जिम चेतन व कमलेश तथा विजय के खिलाफ धारा 19/54 राज.आब.अधि. तथा मुल्जिम प्रकाश वाहन स्वामी के खिलाफ धारा 19/54 ए राज.आब.अधि. का आरोप प्रमाणित माना व पत्रावली एस.एच.ओ. को दी। एस.एच.ओ गजेन्द्रसिंह ने चार्जशीट कताकर न्यायालय में पेश की। चार्जशीट पर एस.एच.ओ. गजेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर है।

23. बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उस समय चुनाव का समय था। गवाह ने इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि चालक कल्याण के हस्ताक्षर उसके द्वारा थाने पर करवाये गये हो। गवाह ने यह सही होना स्वीकार किया है कि मौके पर दो ही अभियुक्तों को पकड़ा गया था। गवाह ने इस तथ्य को गलत बताया है कि मौके पर शराब की

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूंगरपुर (राज.)

कार्टनों की गिनती नहीं की हो। यह सही होना स्वीकार किया है कि जब्ती के समय मौके पर उपस्थित मौतबिरों के समक्ष जब्ती मुर्तिब की थी।

24. जब्ती अधिकारी मांगीलाल पी.डब्ल्यू–09 का साक्ष्य में यह कथन रहा कि उसने आरटीओ को तहरीर प्रदर्श पी–18 लिखी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है जिसकी पुश्त पर आर.टी.ओ. अहमदाबाद ने जवाब सी से डी उसके सामने लिखा जिस पर ई से एफ उसके सामने हस्ताक्षर किये। जवाब में उन्होंने वाहन जीजे 23 ए 5532 का रजिस्टर्ड़ ऑनर प्रकाश ठाकुर को बताया। उसने पी.एस. बावला अहमदाबाद को तहरीर प्रदर्श पी–20 दी जिस पर उसके हस्ताक्षर है जिसकी पुश्त पर प्रकाश ठाकुर का दर्ज प्रकरण विवरण ई से एफ रिकॉर्ड़ देखकर उसके सामने दर्ज किया व जी से एच उसके सामने हस्ताक्षर किये। उसने एस.एच.ओ. बावला को मुल्जिम कमलेश का आपराधिक रिकॉर्ड़ लेने हेतु तहरीर प्रदर्श पी–21 दी जिसकी पुश्त पर उन्होंने सी से डी अपना जवाब दिया व उनके हस्ताक्षर है। उसने मुल्जिम प्रकाश को फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–23 से गिरफ्तार किया और प्रकाश को 133 एम.वी. एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–24 दिया, जिस पर उसके हस्ताक्षर व सी से डी प्रकाश भाई का जवाब होकर हस्ताक्षर है। उसने अपनी गाड़ी पर चालक कमलेश का होना बताया। उक्त वाहन जीजे 23 ए 5532 के संबंध में मुल्जिम प्रकाश व विजय के बीच बेचान करार प्रदर्श पी–25 विजय कुमार ने सत्यप्रति पेश की जिस पर विजय के हस्ताक्षर है। प्रकाश का वोटर आई.ड़ी. प्रदर्श पी–26 है। विजय का वोटर आई.ड़ी. प्रदर्श पी–27 है। उक्त वाहन की आरसी सत्यप्रति प्रदर्श पी–28 है जिसके 16 वे पृष्ठ पर उक्त वाहन प्रकाश भाई ठाकुर के नाम ट्रांसफर होने की प्रविष्टि है जो प्रविष्ठि ए से बी दर्ज है। दस्तावेज प्रदर्श पी–18 व प्रदर्श पी–24 के अवलोकन से जब्तशुदा इनोवा कार नंबर GJ 23 A 5532 का पंजीकृत स्वामी अभियुक्त प्रकाश भाई का होना प्रकट होता है। स्वयं अभियुक्त प्रकाश द्वारा भी जवाब में वाहन नंबर GJ 23 A 5532 मालिक होना स्वीकार किया गया है और प्रदर्श पी–18 के अवलोकन से भी उक्त वाहन इनोवा कार का स्वामी प्रकाश ही होना जाहिर होता है तथा प्रदर्श पी–28 आरसी से के अवलोकन से भी प्रकाश का ही उक्त वाहन इनोवा कार स्वामी होना स्पष्ट होता है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य प्रमाणित है कि उक्त वाहन से अवैध शराब की जब्ती के समय उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी अभियुक्त प्रकाश ही था।

25. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त प्रकाश का यह तर्क रहा है कि अभियुक्त प्रकाश द्वारा उक्त वाहन इनोवा कार नंबर GJ 23 A 5532 को विक्रय विजय को कर दिया था। उक्त तर्क हमारे विनम्र मत में माने जाने योग्य नहीं है क्योंकि दस्तावेज प्रदर्श पी–18 आर.टी.ओ. अहमदाबाद द्वारा वाहन इनोवा कार नंबर GJ 23 A 5532 का स्वामी प्रकाश भाई को बताया गया है, इसके अतिरिक्त प्रदर्श पी–28 में भी वाहन प्रकाश के नाम पर होना ही बताया गया है जिससे स्पष्ट है कि वक्त घटना उक्त वाहन इनोवा कार का अभियुक्त प्रकाश ही स्वामी था। राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 54ए में यह प्रावधित किया गया है कि "जब कोई वाहन इस अधिनियम में उपबंधित किसी अपराध को किये जाने में प्रयुक्त होता है तो यह उपधारणा की

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

जायेगी कि उसके स्वामी द्वारा उस तरह का अपराध किया गया है तथा वह उसके अनुरूप दण्डित किए जाने का दायी होगा, जब तक कि यह साबित न कर दे कि उस वाहन से इस तरह का अपराध किये जाने बाबत विश्वास करने का कोई कारण उसके पास नहीं था अथवा उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने लिये प्रर्याप्त प्रयास किये थे,"परन्तु अभियुक्त प्रकाश यह साबित करने में विफल रहा है कि उसके स्वामित्व के वाहन GJ 23 A 5532 से जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी-1 जब्त की गयी शराब का परिवहन बिना उसकी जानकारी के किया जा रहा था अथवा उसने ऐसे परिवहन को रोकने के लिये प्रर्याप्त प्रयास किये थे।

26. उपरोक्त संपूर्ण विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण कमलेश व चेतन कुमार ने दिनांक 11.11.2013 को दिन में 4:00 बजे के लगभग पुलिस थाना बिछीवाड़ा के सामने एन.एच.-8 पर वाहन इनोवा कार संख्या GJ 23 A 5532 में 09 कार्टन में 108 बोतले रॉयल स्टेग व्हिस्की की, 13 कार्टन में 624 पव्वे पार्टी स्पेशियल व्हिस्की के व 09 कार्टन में 456 टिन हेवर्डस 5000 बीयर को बिना अधिकार पत्र अपने आधिपत्य में रखा तथा अभियुक्त प्रकाश ने अपने स्वामित्व के वाहन GJ 23 A 5532 को शराब परिवहन हेतु उक्त अभियुक्तगण को दिया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण कमलेश व चेतन कुमार को अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में तथा अभियुक्त प्रकाश को अपराध अन्तर्गत धारा 19/54, 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध किये जाने में किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की गयी।

27. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

28. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से तर्क दिया गया कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण विगत बारह वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। उनका पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। अतः उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर परिवीक्षा पर छोड़ा जावे।

29. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक की ओर से तर्क दिया गया कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण कमलेश व चेतन कुमार के सचेतन कब्जे से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब वाहन इनोवा कार से परिवहन करते हुये बरामद हुई है और अपीलार्थी/अभियुक्त प्रकाश ने उक्त अंग्रेजी शराब को परिवहन करने हेतु अपने स्वयं का वाहन अपीलार्थीगण कमलेश व चेतन कुमार को दिया है तथा अभियुक्त प्रकाश के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा अन्य कई प्रकरण भी दर्ज है। अतः अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ न दिया जावे।

30. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

31. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण कमलेश व चेतन कुमार के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब की बरामदगी हुई है, लेकिन वे लगभग बारह वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं और

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण कमलेश व चेतन कुमार के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि रही हो, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं आया है तथा अपीलार्थीगण कमलेश व चेतन कुमार की ओर से इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें पूर्व में कभी दोषसिद्ध नहीं किया गया है न ही उन्होंने परिवीक्षा का लाभ लिया है। अतः अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण कमलेश व चेतन कुमार को तुरन्त कारावासीय दण्ड से दण्डित न करते हुए उनके विरूद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोपों में पारित दण्डादेश को अपास्त करते हुए उन्हें परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, लेकिन अपीलार्थी/अभियुक्त प्रकाश द्वारा अवैध शराब के परिवहन हेतु अपने स्वामित्व का वाहन अभियुक्तगण कमलेश व चेतन कुमार को प्रदत्त किया जाना साबित हुआ है एवं अपीलार्थी/अभियुक्त प्रकाश के विरूद्ध पुलिस थाना बावला जिला अहमदाबाद (गुजरात) द्वारा पूर्व में 08 दर्ज प्रकरण दर्ज होना निम्नासार बताये गये है :–

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	धारा	चालान नं./दिनांक
1.	291/2007	661 बी, 65AE, 116 बी, 81 प्रो.ही.	02/03.01.2008
2.	294/2007	661 बी, 65AE, 116 बी, 81 प्रो.ही.	03/03.01.2008
3.	160/2009	661 बी, 65AE, 116 बी, 81 प्रो.ही.	06/04.01.2010
4.	145/2009	661 बी, 65AE, 116 बी, 81 प्रो.ही.	05/04.01.2010
5.	222/2009	661 बी, 65AE, 116 बी, 81 प्रो.ही.	23/10.02.2010
6.	149/2010	661 बी, 65AE, 116 बी, 81 प्रो.ही.	205/09.12.2010
7.	199/2012	661 बी, 65AE, 116 बी, 81 प्रो.ही.	92/16.06.2013
8.	257/2013	661 बी, 65AE, 116 बी, 81 प्रो.ही.	पेण्डिंग

अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/अभियुक्त प्रकाश को परिवीक्षा अधिनियम के तहत परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त प्रकाश के विरूद्ध पारित दण्डादेश यथावत रखा जाना समीचीन है।

:: आदेश ::

32. परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण **कमलेश पिता हंसमुख भाई** उम्र 47 वर्ष निवासी मातियावास मैन बाजार पुलिस थाना बावला धोलका जिला अहमदाबाद (गुजरात) व **चेतन कुमार पिता सहदेवलाल** उम्र 42 वर्ष निवासी महेश्वरी सोसायटी धराद रोड़ धानेरा पुलिस थाना धानेरा जिला बनासकांठा (गुजरात) व अपीलार्थी/अभियुक्त **प्रकाश पिता मगन भाई** उम्र 59 वर्ष निवासी पाँच बखार सुथारवास के पीछे बावला पुलिस थाना बावला जिला अहमदाबाद (गुजरात) द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज की जाकर विद्वान अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट डूँगरपुर द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 13.02.2023 द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण कमलेश व चेतन कुमार की

2/6/26
सेशन न्यायाधीश
डूँगरपुर (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में पारित दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है, परन्तु पारित दण्डादेश अपास्त किया जाकर अपीलार्थींगण/अभियुक्तगण कमलेश व चेतन कुमार को तुरन्त दण्डित न करते हुये परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के अधीन एक वर्ष की अवधि के लिए पच्चीस हजार रुपये का परिवीक्षा बंधपत्र व इसी राशि की एक प्रतिभू विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष और सन्तुष्टिप्रद निम्न शर्तो के अधीन तस्दीक करवाने पर परिवीक्षा पर रिहा किए जाने का आदेश दिया जाता है-

(1) अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण उक्त अवधि में शांति बनाए रखेंगे और सदाचरण करेंगे।

(2) अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण उक्त अवधि में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।

(3) अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण बंधपत्र की शर्तो का उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित हो जायेंगे।

(4) प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के अधीन **बीस-बीस हज़ार रुपये** अभियोजन व्यय स्वरूप जमा कराएगा।

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण उक्त आदेश की पालना तीस दिवस की अवधि में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं करते है तो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश के क्रम में तलब कर दण्डादेश भुगताया जावे तथा अपीलार्थी/अभियुक्त **प्रकाश** की अपराध अन्तर्गत **धारा 19/54, 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम** में की गयी दोषसिद्धि एवं दण्डादेश की पुष्टि की जाती है। **तदनुसार पुष्टि सजा वारण्ट बनाया जावे।** अपीलार्थी/अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

33. निर्णय की प्रति सहित विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटायी जावे।

2/6/26

(दीपा गुर्जर)
सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)

सेशन न्यायाधीश डूंगरपुर (राज.)

उक्त निर्णय आज दिनांक 02.06.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

2/6/26.

(दीपा गुर्जर)
सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)

सेशन न्यायाधीश डूंगरपुर (राज.)